2019/00241

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

जीतेन्द्र शर्मा पुत्र शिम्भू लाल शर्मा ग्राम आंतरीपुरा पोस्ट बुगडार तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 21/19 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 21.10.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.10.19	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर "ग्राम पंचायत ससेडी तहसील व जिला करौली के हरिपुरा में पाइप लाईन व रोड हैण्डपंप, मोटर, टंकी, सीसी रोड, ग्रेवल रोड, नाली स्वीकृति लगवाये जाने बाबत वर्ष 2015 से 2018 तक ग्राम पंचायत में लगवाये जाने का समस्त रिकार्ड की नकल चाही गयी थी"। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	491 21.10.19